

FROM No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत... 24.12.21 कलकत्ता (S.P.)... मुकाम... 01212

... नं. 1314... बनाम... 40112121- 4071

किस्म मुकदमा... 111.12B R.R. act नं. 308 सन् 2021

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 24.12.21 | प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ... नरपत ... पुत्र ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ... 111.12B R.R. act: राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ... 10.1.22 को पेश हो। | |
| 01/01/2022 | प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थी/गिफ्टे (0) वायतु के नोटिस तामिल अफस तामिल डिप्राप्त/ इन्तजार होकर पत्रावली दाईना दिनांक 09/03/2022 को पेश हो। | |
| 09/03/2022 | प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थी/गिफ्टे के नोटिस तामिल अफस तामिल डिप्राप्त/ इन्तजार होकर पत्रावली दाईना दिनांक 06/04/2022 को पेश हो। | |

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

06/04/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों
के मोटिव तामिल सुद्धा प्राप्त/ जेमे
शामिल पत्रावली विप्रार्थीगणों/ विप्रार्थीगणों
बावजुद तामिल अनुपस्थित/ तामिल एमएम
तीन बार कोवाज लगाई गई तैलिय कोवाज
5:45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगणों एमएम
मा उनर कोर्ट के कोर्ट तैलिय उपस्थित
नहीं हुआ तैलिय विप्रार्थीगणों के विरुद्ध
एडवोकेट कोर्ट के तैलिय में लाई जाते हैं
दिनांक: वास्तविक तामिल दिनांक 05/05/2022
डी.के.टी./म

सहायक कलेक्टर
(SDO) वायतु

05/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद
तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई,
प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि, प्रार्थी एवं
विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी
एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे
बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है
जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को
लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने
खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी
करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को
स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,
दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) वायतु

न्यायालय
वा.द. / 2022 / 6/3
प्राथमिक
ने.रा.प.प.प.प.प.
जाति जाट
को.ड.ड.ड.
तहसील

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 05/05/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 613

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चैनाराम पुत्र गुमनाराम,
जाति जाट, निवासी अणदोणी जाखड़ों
की ढाणी, पटवार मण्डल गिड़ा,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. पनाराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 13,
जाति जाट, निवासी अणदोणियों जाखड़ों
की ढाणी, पटवार मण्डल जाखड़ा,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 388 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - अणदोणी जाखड़ों की ढाणी, पटवार मण्डल - जाखड़ा, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 402/196, 404/106 रकबा क्रमशः 2.0801, 9.2511 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 614-618

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का जाखड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चैनाराम पुत्र गुमनाराम,
4. विप्रार्थी श्री पनाराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 13,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जयदीप सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 05/05/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु